स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 263, दिनांक 29–08–2021

वर्ष–2016 में पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार चल रहे व रू0 50,000/– रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी होशियार को एसटीएफ ने जनपद झाँसी से किया गिरफ्तार।

आज दिनॉकः 29.08.2021 को एस0टी0एफ उ0प्र0 को वर्ष–2016 से फरार चल रहे व 50,000/–रूपये के पुरस्कार घोषित अपराधी होशियार को जनपद झॉसी के बस स्टैण्ड से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

होशियार पुत्र रघुनथा, निवासी ग्राम सरवां थाना बबीना जनपद झॉसी।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगी –

1. 01 अदद मोबाइल फोन
2. 1000/– नगद।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः–झॉसी बस स्टैण्ड, दिनांक 29–08–2021 समयः 04:15 बजे प्रातः।

विगत काफी दिनों से प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में निरीक्षक श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह एसटीएफ फील्ड इकाई, कानपुर के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

सूचना संकलन के क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त होशियार पुत्र रघुनथा निवासी ग्राम सरवां थाना बबीना जनपद झॉसी जो कि मु0अ0सं0–398/14 धारा 302 भा0द0वि0 थाना बबीना से नामजद अभियुक्त होने के कारण गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त मा0 न्यायालय में पेशी के दौरान वर्ष–2016 में 03 अन्य अभियुक्तों के साथ सदर हवालात से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना नबाबाद पर मु0अ0सं0 723/2016 धारा 223/224 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियुक्त के लगातार फरार चलने के कारण अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु रू0 50,000/–(पचास हजार रूपये) रूपये पुरस्कार घोषित किया गया था। जो महाराष्ट्र, दिल्ली, म0प्र0, एवं उ0प्र0 में छिप–छिपाकर मजदूरी का कार्य करता है एवं जनपद झॉसी आता–जाता है। इस सूचना पर एसटीएफ इकाई कानपुर जनपद झॉसी में भ्रमणशील थी, इसी दौरान ज्ञात हुआ कि वांछित अभियुक्त होशियार बस स्टैण्ड के पास खड़ा है जो कही जाने की फिराक में है, इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा बस स्टैण्ड से अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वर्ष–2014 में उसके विरूद्ध थाना बबीना में हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें वह गिरफ्तार होकर झॉसी जेल गया था। झॉसी जेल में ही उसकी मुलाकात वर्ष 2016 में एक अन्य अभियुक्त सूरज अहिरवार से हुई। सूरज अहिरवार ने इससे कहा कि दो साल से तुम्हारी जमानत नहीं हो पायी है और जेल में ही रहते तुम्हे आजीवन कारावास हो

जायेगा और यही पर मर जाओगे। इसके बाद सूरज अहिरवार एवं अभियुक्त होशियार ने जेल से फरार होने की योजना बनाई तथा मा0 न्यायालय में पेशी के दौरान योजनाबद्ध तरीके से सूरज अहिरवार, होशियार एवं अन्य दो अभियुक्त सदर हवालात से फरार हो गये। अभियुक्त होशियार फरारी के दौरान महाराष्ट्र, दिल्ली, म0प्र0 व उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में घूम–घूमकर मजदूरी का कार्य कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त होशियार के विरूद्ध थाना नबाबाद झॉसी में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।